

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 56] नई दिल्ली, बृहस्पति-वार, मार्च 1, 1979/फाल्गुन 10, 1900
No. 56] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 1, 1979/PHALGUNA 10, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहायिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयाम व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 1 मार्च, 1979

सार्वजनिक सूचना सं. 15-आई. टी. सी. (पी. एन.)/79

विषय :—स्वर्ण आभूषण निर्यात प्रतिपूर्ति योजना

[मिसल सं. 12/4/78-ई.पी.सी.].—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 10-आई. टी. सी. (पी. एन.)/79 दिनांक 31 जनवरी, 1979 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें यह अधिसूचित किया गया था कि फरवरी, 1979 मास के दौरान उपयुक्त योजना के अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा भेचे जाने वाले शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की कीमत प्रति 10 ग्राम उस पर किसी भी लागू स्थानीय करों को छोड़कर 680/- रुपये होगी।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने के पश्चात्, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि 31 मार्च, 1979 को या इससे पूर्व भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उपयुक्त योजना के अन्तर्गत रिहाई आदेश धारकों के जिस कमित पर सोना बेचा जाएगा वह शुद्ध सोने (1.000 उत्तम शुद्धता) की प्रति 10 ग्राम, उस पर लागू किसी भी स्थानीय करों को छोड़कर 720/- रु. (सात सौ बीस रुपये मात्र) होगी।

का. वें शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Commerce)

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 1st March, 1979

PUBLIC NOTICE NO. 15-ITC(PN)/79

Subject : Gold Jewellery Export Replenishment Scheme.

F. No. 12/4/78-EPC.—Attention is invited to the Department of Commerce Public Notice No. 10-ITC(PN)/79 dated the 31st January, 1979 notifying that the price at which the gold will be sold under the said Scheme by the State Bank of India during the month of February, 1979 would be Rs. 680/- for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness) exclusive of any local taxes applicable thereto.

2. On a review of the position, it is hereby notified that the price at which gold will be sold to the Release Order holders under the said Scheme by the State Bank of India on or before the 31st March, 1979 would be Rs. 720/- (Rupees Seven hundred and twenty only) for 10 grammes of pure gold (1.000 fineness), exclusive of any local taxes applicable thereto.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of
Imports and Exports